

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 641] No. 641] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 13, 2018/भाद 22, 1940

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 13, 2018/BHADRA 22, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 875(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) संशोधन नियम, 2018 है ।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 में,-
- (i) नियम 6 में,
 - (क) "केंद्रीय सरकार को आवेदन" शीर्षक के स्थान पर पारिश्रमिक का विचार करने के लिए 'मानदंड' शीर्षक रखा जाएगा।
 - (ख) "केंद्रीय सरकार" शब्दों का लोप किया जाएगा।
- (ii) नियम 7 के, उपनियम (2) का लोप किया जाएगा।
- (iii) प्ररूप संख्या एमआर-2 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा

5424 GI/2018 (1)

प्ररूप संख्या एमआर-2

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196 और अनुसूची-√ और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 7 के अनुसरण में



केंद्रीय सरकार को प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक की नियुक्ति के अनुमोदन के लिए आवेदन का प्ररूप

प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिंदी प्ररूप फाइल करने के लिए अनुदेश किट देखें 1. (क) *कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) ______ (पूर्व पूरित) (ख) कंपनी की वैश्विक स्थिति संख्या (जीएलएन) ______ 2. (क) कंपनी का नाम ______ (ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता _____ (ग) *कंपनी की ई-मेल आईडी _____ 3. *निगमन की तारीख _____(दिन/मास/वर्ष) 4. (क) *यह प्ररूप केंद्रीय सरकार से निम्नलिखित के लिए अनुमोदन मांगने के उद्देश्य से फाइल किया जा रहा है • अनुसूची-V के भाग 1 का अनुपालन किए बिना नियुक्ति या पुनः नियुक्ति (ख) क्या यह आवेदन समय से भरा गया है 0 हां 0 नहीं 5. (1) प्रस्तावित नियुक्ति या वह व्यक्ति जिसके संबंध में आवेदन दायित्व किया जाना है, कि विशिष्टियाँ निदेशक पहचान संख्या (डिन) या आयकर स्थायी खाता संख्या (आयकर पैन) ______ (पूर्व पूरित) नाम _____ पिता का नाम राष्ट्रीयता जन्म की तारीख _____ (दिन/मास/वर्ष) नियक्ति या वह व्यक्ति जिसके लिए आवेदन दायित्व किया जाना है, की शैक्षिक, वृत्तिक अर्हताएं और संक्षिप्त लाभ

अनुभव _______वर्ष _____

[भाग II-खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	3
	नागरिक है तो निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत कं	``
(i) आईएसओ राष्ट्र कोड		
(ii) देश		
(iii) पासपोर्ट संख्या		
(iv) पासपोर्ट की विधिमान्य		
(v) व्यवसाय		
6. (क) क्या यह		
0 नियुक्ति	0 पुनः नियुक्ति	
(ख) नियुक्ति या पुनः नियुक्ति की प्रभ	ावी तारीख	_ (दिन/मास/वर्ष)
(ग) प्रस्तावित पदनाम		
7. (क) कंपनी अधिनियम, 2013 की	ा अनुसूची-V के भाग 1 के कौन से खंड पूरे नहीं ह	हो रहे
(ख) वह अधिनियम और धारा जिसवे	क अधीन नियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्धि या कारावा	स हुआ है
(ग) किए गए अपराधों का विवरण ि	 जेससे प्रस्तावित नियुक्त व्यक्ति को निरर्हित घोषि	त किया गया है
8. (क) क्या प्रस्तावित नियुक्ति या व उल्लिखित कोई ऩिरर्हता है।	 यक्ति जिसके संबंध में आवेदन दायित्व किया जा	ना है, में अधिनियम की धारा 164(2) में
0 हां 0 नहीं (पूर्व पूरि	त)	
(ख) यदि हां, इसका विवरण प्रस्तुत व	करें	
9. इस नियुक्ति का न्यायोचित्य		
10. इस नियुक्ति के लिए पारित संक	ल्प का विवरण	
(क) बोर्ड का संकल्प पारित करने की	तारीख (f	देन/मास/वर्ष)
	क समिति के संकल्प की तारीख	
(ग) सदस्यों के संकल्प की तारीख		
संलग्नक		
(1) क्या आवेदक कंपनी पब्लिक कंप	नी है या पब्लिक कंपनी की समनुषंगी कंपनी है।	यदि हां, तो इसका ब्यौरा दें;
(2) निदेशक बोर्ड द्वारा प्रस्ताव के पध	क्ष में पारित संकल्प की प्रमाणित प्रति;	

- (3) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा पारित संकल्प और कार्यवृत्त सहित प्रमाणित प्रति । नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (अर्थात् सदस्य जिसमें कंपनी के कार्यकारी या गैर-कार्यकारी निदेशक या स्वतंत्र गैर-कार्यकारी निदेशक या गैर-स्वतंत्र गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में अध्यक्ष शामिल है) का गठन (अर्थात् अध्यक्ष सहित प्रत्येक सदस्य का नाम और पदनाम);
- (4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में नोटिस और स्पष्टीकरण विवरण सहित प्रस्ताव के पक्ष में कंपनी के शेयरधारकों के संकल्प की प्रमाणित प्रति;
- (5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के अनुसरण में लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र;
- (6) कंपनी के कंपनी सचिव/पूर्णकालिक कंपनी सचिव का प्रमाण-पत्र कि नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 की उपधारा (1), (2), (3) और (4) के उपबंधों का पालन किया है;
- (7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196 का अनुपालन करने के संबंध में कंपनी के कंपनी सचिव/पूर्णकालिक कंपनी सचिव का प्रमाण-पत्र;
- (8) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203(3) के अनुपालन करने के संबंध में कंपनी के कंपनी सचिव/पूर्णकालिक कंपनी सचिव का प्रमाण-पत्र:
- (9) कंपनी के कंपनी सचिव द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र कि समय-समय पर सेबी द्वारा जारी परिपत्र (सूचीबद्ध कंपनी के मामले में) के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज में प्रविष्ट सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के सभी विनियमनों का अनुपालन किया गया है:
- (10) प्रत्येक सूचना मुख्यतया दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र में अंग्रेजी भाषा और दैनिक जन भाषा समाचार पत्र में उस जिले जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, की मूल भाषा में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 201(2) के अनुसरण में प्रकाशित प्रत्येक पेपर कटिंग की प्रति;
- (11) नियुक्ति के जीवन-वृत्त के साथ प्रस्ताव के पक्ष में संपूर्ण और समुचित न्यायोचित्य;
- (12) यदि केंद्रीय सरकार को नियुक्ति की तारीख के 90 दिनों के भीतर नियुक्ति का आवेदन न किया गया हो तो इस अधिनियम की धारा 460 के अधीन विलंब की माफी के लिए चालान सहित सीजी-1 प्ररूप की प्रतिलिपि;
- (13) यदि नियुक्ति विदेशी है तो, भारत में उस नियुक्ति के रहने की अवधि के संबंध में पासपोर्ट और रोजगार वीजा/ओसीआई/पीआईओ कार्ड की प्रमाणित प्रति:
- (14) शैक्षणिक या वृतिक अर्हता प्रमाण पत्रों की प्रतियां;
- (15) पूर्ववर्ती 3 वर्ष, के संबंध में केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन या नामंजूरी पत्र यदि कोई हो की प्रति;
- (16) वैकल्पिक अनुलग्नक, यदि कोई हो।

घोषणा-पत्र

मैं कंपनी के निदेशक बोर्ड की तारीख	्, की संकल्प संख्या
द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूं और यह	घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप की विषयवस्तु और इससे
संबंधित मामलों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके	अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन
किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि:	

1. इस प्ररूप और इसके अनुलग्नकों में जो भी उल्लिखित है वह सत्य, सही और संपूर्ण हैं और इस प्ररूप की विषयवस्तु से संबंधित अन्य सूचना को छुपाया या गुप्त नहीं रखा गया है और यह कंपनी द्वारा रखे गए मूल रिकार्डों के अनुसार।

[भाग II-खण्ड 3(i)]		भारत का राजपत्र : ३	असाधारण	5	
2. सभी अपेक्षित अनुलग्न	2. सभी अपेक्षित अनुलग्नकों को संपूर्ण और स्पष्ट रूप से प्ररूप के साथ संलग्न कर दिया गया है।				
*अंकीय हस्ताक्षर किए र	जाने हैं				
पदनाम (दिया जाना है)	ड्रॉप डाउन	(डीएससी बॉक्स)		
(ड्रॉप डाउन – निदेशक,	प्रबंधक, कंपनी सचि	व, सीईओ, सीएफओ)			
*निदेशक की निदेशक प	।हचान संख्या: या प्र	। बंधक या सीईओ या स	गिएफओ का डिन या पैन; या कंपन	ो सचिव की सदस्यता	
संख्या					
व्यवसायरत वृतिक द्वारा	। प्रमाण-पत्र				
और उसके अधीन बनाए	ए गए नियमों के उप ल हैं) जो इस प्ररूप व सी तात्विक सूचना व	ग्बंधों को पढा है और की विषयवस्तु हैं को सत्	मामलों की विषयवस्तु के लिए कंप मैंने कंपनी द्वारा रखे गए मूल रिक यापित किया है और उन्हें सत्य, सही	ार्डों से उपरोक्त ब्यौरों	
		(डीएससी ब	ॉक्स)		
Oचार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्ण	कालिक) या				
Oलागत लेखाकार (पूर्ण	कालिक) या				
Oकंपनी सचिव (पूर्णका	लिक)				
* क्या एसोशिएट या फेल	त्रो है	O एसोशिएट	O फेलो		
*सदस्यता संख्या		*प्रैक्टिस संख्या प्रमाण	ग-पत्र		
टिप्पण: धारा 448 और साक्ष्य के लिए दंड का प्र संशोधन		ते ओर ध्यान आकर्षित पूर्व संवीक्षा	किया जा रहा है जिसमें क्रमश: मि प्रस्तुत करें	थ्या कथन और मिथ्या	
केवल कार्यालय प्रयोग हे ई-प्ररूप अनुरोध संख्या					
ई-प्ररूप फाइल करने की			——— (दिन/मास/वर्ष)		
प्राधिकृत अधिकारी के अ			— (
इस ई-प्ररूप को अनुमोरि	-				

इस ई-प्ररूप को अस्वीकार	किया जाता है	
हस्ताक्षर करने की तारीख		(दिन/मास/वर्ष)

[फा.सं.1/5/2013-सीएल.V]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.िन. 249(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 *द्वारा* प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 390(अ) तारीख 09.06.2014 *द्वारा* इसमें पश्चातवर्ती संशोधन किए गए और अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 646(अ) तारीख 30.06.2016 द्वारा इसमें अंतिम संशोधन किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2018

- **G.S.R 875(E).** In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Amendment Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. In the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014,
 - (i) in rule 6,
- (a) for the heading 'application to the Central Government' the heading 'Parameters for consideration of remuneration' shall be substituted.
 - (b) the words 'Central Government' shall be omitted .
 - (ii) in rule 7, sub-rule (2) shall be omitted
 - (iii) for form no.MR-2, the following form shall be substituted

"Form No. MR-2

[Pursuant to section 196 and Schedule V of the Companies Act 2013 and Rule 7 of Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 20141



Form of application to the Central Government for approval of appointment of managing director or whole time director or manager

Form language o English o Hindi Refer instruction kit for filing the form.

Refer instruction kit for filling the form.			
1. (a) *Corporate identification number (CIN) of	the company		Pre-fill
(b) Global location number (GLN) of the co	ompany		
2. (a) Name of the company			
(b) Address of registered office of the company			
(c) *email ID of the company			

3.	(DD/MM/YYYY)	Calendar	*Date of incorporation
4.	(a) *This form is being filed	for seeking Central Government's	s approval for
т.		bintment without complying with t	
	(b) Whether the application I		
5.			se respect the application is filed Pre-fill
	Name		
	Address		
	Father's name		
	Nationality		
	Date of birth	Calendar (DDa	/MM/YYYY)
	Place of birth		
		nal qualifications and brief profits	of the appointee or the person in whose respect the
	Application is filed		
	Experience	Years	Months
	(2) In case the proposed appe	ointee is a foreign citizen, furnish	the following details also-
	(i) ISO Country code		
	(ii) Country		
	(iii) Passport number		
	(iv) Validity of passport		
	(v) Occupation		
6.	(a) Whether o Appointment o Reapp	ointment	
			Calendar
	(b) Effective date of appoint	ment or reappointment	(DD/MM/YYYY)
	(c) Designation offered		
7.	(a) Which of the clause(s) of	Part I of Schedule V to the Comp	panies Act, 2013 is or are not satisfied
	(b) Section and the Act under	which the appointee was convicte	ed or detained
	(c) Details of the offence com	mitted due to which the proposed	appointee is disqualified

8.	(a) Whether the proposed appointee or the person in w disqualification mentioned in section 164(2) of the Act.(b) If yes, furnish the details thereof		tion is filed suffers from any o	f the
9.	Justification of such appointment			
10.	Details of resolution passed for such appointment	C-11		
	(a) Date of passing Board resolution	Calendar	(DD/MM/YYYY)	
	(b) Date of Nomination Committee and Remuneration			
	Committee's resolution			
	(c) Date of Members' Resolution			

Attachments

- (1) Whether the applicant company is a public company or subsidiary of public company, if so details thereof
- (2) Certified copy of the resolution passed by the Board of Directors in favour of proposal;
- (3) Certified copy of resolution passed by the Nomination and Remuneration Committee along with its minutes. The composition (i.e. the name and designation of each member including Chairman) of the Nomination and Remuneration Committee (i.e. member including Chairman as an Executive or Non-Executive Director or Independent Non-Executive Director of the Company);
- (4) Certified copy of the Shareholders' Resolution of the Company in favour of proposal along with notice and explanatory statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013;
- (5) Auditors Certificate pursuant to Section 164 (2) of the Companies Act, 2013;
- (6) A certificate from the Company Secretary of the Company / Company Secretary in whole time practice that the Nomination & Remuneration Committee has complied with the provisions of sub sections (1), (2), (3) and (4) of Section 178 of the Companies Act, 2013.
- (7) A certificate from the Company Secretary of the Company / Company Secretary in whole time practice with regard to the compliance of section 196 of the Companies Act, 2013.
- (8) A certificate from the Company Secretary of the Company / Company Secretary in whole time practice with regard to the compliance of section 203 (3) of the Companies Act, 2013;
- (9) A certificate duly signed by the Company Secretary of the company that it has complied with all the regulations of SEBI (LODR) Regulation, 2015 entered with Stock Exchanges as per circular issued by SEBI for time to time (in case of listed company).
- (10) Copy of each of the notices preferably paper cutting, published in the daily English Newspaper in English Language and daily Vernacular Language Newspaper in Principal Language of the district in which the Registered Office of the Company is situated in pursuance of Section 201 (2) of the Companies Act, 2013;
- (11) Full and proper justification in favour of the proposal along with bio-data of the appointee;
- (12) Copy of CG-1 Form along with challan, made for condonation of delay under Section 460 of the Act, if the application for appointment has not been made to the Central Government within 90 days of date of appointment;
- (13) Certified copy of Passport and Employment Visa/OCI/PIO Card in respect of the appointee for the period of his tenure in India, if the appointee is a foreign national.
- (14) Copies of educational or professional qualification certificate(s)
- (15) Copy of the Central Government earlier approval or rejection letter(s) etc., if any, in respect of the preceding three years.
- (16) Optional attachment, if any.

I am authorized by the Board of Directors of the Company vide resolution no. *					
Dated * to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I further declare that:					
1. Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the company.					
2. All the required attachments have been completely and legibly attached to this form					
*To be digitally signed by					
Designation (to be given) Drop down DSC box					
(Drop down- values: Director, Manager, Company Secretary, CEO, CFO)					
*Director identification number of the director; or DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the Company secretary					
Certificate by practicing professional					
It is hereby certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original records maintained by the Company which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed.					
*To be digitally signed DSC box					
Chartered accountant (in whole-time practice) or					
Ocost accountant (in whole-time practice) or					
Company secretary (in whole-time practice)					
*Whether associate or fellow Associate Fellow					
*Membership number Certificate of practice number					
rectificate of practice number					
ecrunicate of practice number					
Certificate of practice number					
Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false					
Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence respectively.					
Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false					
Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence respectively.					

1	1	٦
1	ι	J

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

Digital signature of the		
Authorizing officer		
This e-Form is hereby approved		
This e-Form is hereby rejected		
Date of signing (DD/MM/YYYY)"		
		[F. No. 1/5/2013/CL.V]

Note: — The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 249(E), dated the 31st March, 2014, subsequently amended vide notification number G.S.R.390(E) dated 09.06.2014 and lastly amended vide notification number G.S.R.646 (E) dated 30.06.2016.